फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली जिला उदयपुर

प्रार्थी :– **श्री हीरालाल** | विपक्षी :– **श्री नारायण**

किस्म मुकदमा :– 212 रा.का.अधिनियम | पत्रावली संख्या :– 73/18

जीसीएमएस नम्बर :– 2018/00290

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 13.10.2025 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। विपक्षी संख्या 2, 3 को पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी जवाब पेश नहीं किया। अतः विपक्षी संख्या 2, 3 के जवाब का अवसर बन्द किया जाता हैं। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा बहस टी.आई सुनी जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस टी.आई सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा अपनी बहस में जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि मौजा घासा पटवार हल्का घासा तहसील मावली हाल घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 की खाता संख्या 818 पर दर्ज आराजी नम्बर 4857 किता 1 रकबा 15 बिस्वा भूमि प्रार्थीगण के नाम हिस्सेनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज हैं। प्रकरण के अवलोकन से प्रार्थीगण द्वारा स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। न्यायालय का विनम्र अभिमत है वादग्रस्त भूमि के प्रार्थीगण वर्तमान में रिकार्डेड खातेदार हैं। विपक्षी संख्या 4 द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 23.12.77 के आधार पर एक अन्य प्रकरण संख्या 56/18 भोला बनाम हिरालाल पेश कर घोषणा चाही गई हैं। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 23.12.77 के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि वादग्रस्त भूमि को प्रार्थीगण के दादा रामा पिता दोला द्वारा विपक्षी संख्या 4 भोला को विक्रय की गई परन्तु उक्त विक्रय पत्र का नामान्तरकरण पारित नहीं होने से भूमि रामा पिता दोला के वारिसान प्रार्थीगण के नाम विरासत से दर्ज हो गई। प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि में विपक्षीगण द्वारा दखलन्दाजी करने से विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाना चाहते हैं परन्तु विपक्षी संख्या 4 द्वारा वादग्रस्त भूमि को क्रय करने से विपक्षी संख्या 4 को वादग्रस्त भूमि का खातेदार माना जा सकता हैं। उभय पक्षकारान दोनो ही वादग्रस्त भूमि पर अपना–अपना कब्जा होना बता रहे हैं। वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज होने एवं विपक्षी संख्या 4 द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय करने से यदि किसी एक पक्ष को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो इससे एक पक्ष [illegible] कुठाराघात होगा तथा उभय पक्षकारान द्वारा मौके पर [illegible] जाता है तो इससे उभय पक्षकारान को ही काफी कठिनाई का [illegible] करना पडेगा तथा प्रकरण में	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:21:58 IST
Reason: SelfAttested

अनावश्यक पैचिदगीया उत्पन्न होगी। वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज रेकार्ड होने एवं विपक्षी संख्या 4 द्वारा वादग्रस्त भूमि क्रय करने से प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दू प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण दोनों के पक्ष में साबित होते हैं। प्रकरण में दिनांक 29.06.2018 से अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होकर उभय पक्षकारान को पाबंद किया गया हैं, जिसे मूल वाद के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाना आवश्यक हैं। इसलिए उभय पक्षकारान को मूल वाद के निस्तारण तक मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता हैं। शेष अन्य बिन्दू मूल वाद में साक्ष्य सबूत गवाह आदि के आधार पर तय किये जावेंगे। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाता है कि मौजा घासा पटवार हल्का घासा तहसील मावली हाल घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2072—75 की खाता संख्या 818 पर दर्ज आराजी नम्बर 4857 किता 1 रकबा 15 बिस्वा भूमि में उभय पक्षकारान मूल वाद के निस्तारण तक मौके एवं राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:21:58 IST
Reason: SelfAttested